# महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
# एवं
# राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

**समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007**

**वेब-साइट:** www.upefa.com **ई-मेल:** upefaspo@gmail.com **दूरभाष:** 0522-4024440, 2780384, 2781128


शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
मिशन प्रेरणा

पत्रांकःगुण0वि0/सा0प0/ 10660 /कार्य आवंटन/2020-21

दिनॉक 11 मार्च, 2021

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत प्रि-प्राइमरी शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में निर्धारित किया गया है। बेसिक शिक्षा एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रि-प्राइमरी के बच्चों की उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कार्ययोजना तैयार की गयी है। तत्कम में पूर्व से सृजित/स्वीकृत पदों के अन्तर्गत ही प्रि-प्राइमरी शिक्षा से संबंधित कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा में प्रि-प्राइमरी शिक्षा यूनिट का गठन निम्नवत किया जाता है :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. यूनिट इंचार्ज/वरिष्ठ विशेषज्ञ स्तर | – | 01 |
| 2. विशेषज्ञ | – | 01 |
| 3. सलाहकार | – | 01 |
| 4. एम0आई0एस0 प्रोग्रामर | – | 01 |
| 5. कम्प्यूटर ऑपरेटर | – | 02 |

उपर्युक्त यूनिट के कमांक 1 तथा 2 पर अंकित अधिकारी एस0पी0ओ0 में सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त होंगे। कमांक-3 पर अंकित सलाहकार (ई0सी0सी0ई0 विशेषज्ञ) एस0पी0ओ0 मैनेजमेण्ट के कंसल्टेंसी मद से सीमित अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त होंगे। कमांक 4 पर अंकित कम्प्यूटर प्रोग्रामर एस0पी0ओ0 मैनेजेमेण्ट के एम0आई0एस0 मद में मैनपावर हेतु स्वीकृति बजट से सीमित अवधि के लिए नियुक्त होंगे। कमांक 5 पर अंकित कम्प्यूटर आपरेटर वर्तमान में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों के रीडिप्लायमेण्ट द्वारा अथवा उपर्युक्त कमांक-3 के अनुसार नियुक्त होंगे।

यूनिट प्रभारी, प्रि-प्राइमरी शिक्षा द्वारा निम्नांकित कार्यो का संपादन किया जायेगा :-

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में प्रि-प्राइमरी शिक्षा के प्राविधानों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।
2. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2021-22 हेतु प्रस्ताव तैयार किया जाना।
3. प्रि-प्राइमरी शिक्षा के संबध में आई0सी0डी0एस0 विभाग एवं यूनिसेफ के साथ समन्वय।
4. विकासखण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित कराना।
5. कार्यकम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा हेतु आवश्यक बैठकों का आयोजन कराना।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गुण0वि0/सा0प0/ /कार्य आवंटन/2020-21 तददिनॉक।

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, लखनऊ।
7. श्री ऋत्विक पात्रा, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, लखनऊ।
8. वरिष्ठ सलाहकार, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
10. समस्त वरिष्ठ विशेषज्ञ/विशेषज्ञ, समग्र शिक्षा, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
11. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
13. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक